छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

आवश्यक सूचना

क्रमांक एफ 6–14 / 2015 / 20–तीन, नया रायपुर, दिनांक 30/ 08 / 2017

- भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(2) में किये गये संशोधन के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों (Elementary Schools) में सेवारत सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक NCTE द्वारा निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करना अनिवार्य किया गया है।
- सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यक्रम NIOS द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके पंजीयन की आखिरी तारीख 15 सितम्बर 2017 है। पंजीयन एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in या dled.nios.ac.in पर जाकर किया जा सकता है। NIOS D.El.Ed. मोबाईल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी पंजीयन किया जा सकता है।
- भारत सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि इस हेतु कोई अन्य पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा। अतः अप्रशिक्षित शिक्षकों को एन.सी.टी.ई. के मापदंडों के अनुसार निर्धारित योग्यता अर्जित करने के लिए अंतिम अवसर है।
- प्रथम वर्ष का शुल्क रू. 4500/- है, जो कि ऑनलाइन भरना है।
- पहली बार स्व–प्रशिक्षण सामग्री "स्वयंम (SWAYAM) पोर्टल" से ऑनलाइन तथा "स्वयंमप्रभा (SWAYAM PRABHA DTH TV) शैक्षिक चैनल" पर उपलब्ध होगी।
- एन.सी.टी.ई. के मापदंडों के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने साथ–साथ यह भी अनिवार्य है कि ऐसे शिक्षक के 12वीं कक्षा में प्राप्तांक कम से कम 50 प्रतिशत हो। ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके 12वीं में 50% अंक से कम हैं, उन्हें अपने अंकों के प्रतिशत में सुधार करना आवश्यक हैं। ऐसे शिक्षक 12वीं कक्षा में अंकों के प्रतिशत सुधार लाने के लिए एनआईओएस की "जब चाहो तब परीक्षा" (On Demand Examination) के लिए www.nios.ac.in पर पंजीयन करा सकते हैं।
- 31 मार्च 2019 के बाद ऐसे शिक्षक जिनके पास एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं होगी, वे अध्यापन हेतु नियोजित नहीं किये जा सकेंगे। अतः 16 सितंबर 2017 के पश्चात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय

शालाओं में पूर्व से नियोजित तथा पंजीयन न कराने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही करना राज्य शासन की बाध्यता होगी। निजी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी विद्यालय की मान्यता के प्रयोजन हेतु नहीं गिना जा सकेगा।

- पाठ्यक्रम, स्वयंम (SWAYAM) और स्वयंमप्रभा (SWAYAM PRABHA DTH TV) से संबंधित संपूर्ण जानकारी एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in से प्राप्त करें।
- 15 सितंबर 2017 तक पंजीयन करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षकों की होगी।
- SCERT, RAIPUR के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in को नियमित रूप से देखें।
- विद्यार्थी सहायता केन्द्र टॉल फ्री नं: 1800 180 9393, वेबसाइटः www.nios.ac.in ई–मेल : dled_enquiries@nios.ac.in एनआईओएस मुख्यालय ए–24/25, सेक्टर–62, नोएडा, उ0प्र0–201309

तुरंत जानकारी लीजिए एवं अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए।

30/8/17

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग